HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Transfer Petition No. 80/2026
CNR: RJHC020969692026 | URN: CRLTP / 126U / 2026

Rajeshwari Choudhary W/o Late Shri Kehar Singh, Aged About 72 Years, R/o B-29, Pearl Regaliya Township, Mohanpura, Mansarovar, Police Station Muhana Mandi, Jaipur South.

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through PP
2. Rahul Singh S/o Jagdish Singh, Aged about 35 years, R/o Village Kumha, Pachayat Samiti Sevar, Tehsil Nadbai, District Bharatpur, Rajasthan.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Tarun Choudhary, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Devi Singh, PP Mr. Rahul Singh, Complainant (present in person)

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

27/10/2026

याची–अभियुक्त के विरूद्ध एक नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या 364/2020 विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–13, सांगानेर में लंबित है, जिसके संबंध में पूर्ववर्ती पीठासीन अधिकारी पर अप्रत्यक्ष रूप से तथा वर्तमान पीठासीन अधिकारी पर प्रत्यक्ष रूप से निष्पक्ष विचारण नहीं किये जाने का आरोप लगाते हुए प्रकरण को अन्य समकक्ष न्यायालय में अंतरित किये जाने का निवेदन किया।

परिवादी/प्रत्यर्थी आज न्यायालय में व्यक्तिशः उपस्थित है, जिसका निवेदन है कि लगाये गये आरोप निराधार हैं तथा अभियुक्त पक्ष प्रकरण को विलम्बित करना चाहते हैं और इसी उद्देश्य से बार–बार विचारण न्यायालय में अनुचित आवेदन पेश किये गये और यह अंतरण आवेदन भी इसी अनुक्रम में है लेकिन फिर भी प्रकरण को अन्य न्यायालय में अंतरित किया जाता है तो

Digitally signed by
DINESH KUMAWAT
Date: 2026.10.30
11:42:14 IST

उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिये जाने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों की सहमति को देखते हुए न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–13 सांगानेर, जयपुर महानगर–प्रथम में लंबित आपराधिक प्रकरण संख्या 364/2020 को विधिनुसार सुनवाई व निस्तारण हेतु न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–14 सांगानेर, जयपुर महानगर–प्रथम में अंतरित किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा यह भी आदेश दिया जाता है कि अब नवीन न्यायालय द्वारा प्रकरण का अल्पकालिक स्थगन देते हुए व प्रत्येक पेशी पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए यथासंभव छः माह में विधिनुसार निस्तारण किया जायेगा।

अन्तरण न्यायालय को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति प्राप्त होने पर प्रकरण विधिवत सुनवाई व निस्तारण हेतु दोनों पक्षों को सूचित करते हुए अन्तरिती न्यायालय को प्रेषित करें।

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति अन्तरण तथा अन्तरिती न्यायालयों को ई–मेल से अविलम्ब प्रेषित की जावे तथा इस आदेश की प्रति दोनों पक्षों द्वारा संबंधित न्यायालय में पेश की जावे।

इसी अनुसार यह अंतरण याचिका निस्तारित की जाती है तथा स्थगन आवेदन व अन्य आवेदन, यदि कोई लंबित हों, तो वे भी उक्तानुसार निस्तारित किये जाते हैं।

(UMA SHANKER VYAS),J

35/DINESH KUMAWAT